160

निग 1858-I-16

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,

<u>म0प्र0ग्वालियर</u>

प्र0क0 –एक/2016 निगरानी

दिनांक 9-6-16 को श्रीमती रंजनी बिशाल शर्मा ओ० एड० प्रस्तुत / 9-6-16 SO

नथुआ चमार बल्द सरूवा चमार
ग्राम भौरोगंज लुगासी तहसील
नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0 ---आवेदक

विरुद्ध

1–मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर

2–तहसीलदार , तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 10 अ–6–अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15–6–15 का पालन न करने के कारण शासकीय अभिलेख में अमल के कराये जाने वावत्)

कृ0पृ0उ0–2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1858 –एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

तारीख	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24-6-16	आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी न्यायालय भू प्रबंधन अधिकारी, छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 10 अ–6–अ/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15–6–15 का राजस्व अधिकारियों व्दारा शासकीय अभिलेख में अमल न करने के कारण म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम लुगासी स्थित भूमि सर्वे नंबर 4610, 5900, 5901, 5910, 5911 पर आवेदक निरन्तर खेती करते चले आ रहा है तथा यही कृषि भूमि आवेदक के आजीवका का साधन है। बंदोवस्त के दौरान आवेदक की भूमि के सर्वे नंबर बदलने की कार्यवाही हुई। उसी समय आवेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत भू प्रबंधन अधिकारी छतरपुर को आवेदन देकर प्रार्थना की कि उक्त सर्वे नंबर आवेदक के हैं जिन पर राजस्व कागजात में आवेदक का नाम दर्ज किया जाय। न्यायालय भू प्रबंधन छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 10 अ–6–अ/14–15 दर्ज किया एंव मौके की जॉच कराकर एंव उक्त सर्वे नंबर की भूमि आवेदक की कृषि भूमि होना पाने से	

आदेश दिनांक 15-6-2015 पारित किया तथा ग्राम लुगासी स्थित भूमि सर्वे नंबर 5900 रकबा 0.42 है. , 5901 रकबा 0.39 हैक्टर, 5910 रकबा 0.42 हैक्टर , 5911रकबा 0.65 है0 आवेदक के नाम अंकित करने के आदेश दिये।

आवेदक के अभिभाषक के अनुसार न्यायालय भू प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण कमांक 10 अ-6-अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर तहसील न्यायालय में पहुंचा एंव पालन करने तथा उक्त भूमि पर नाम दर्ज की प्रार्थना की, तब तहसीलदार नौगॉव ने कागज लेकर रख लिये, किन्तु आज तक बार बार अनुरोध करने के वाद भी शासकीय अभिलेख में अमल नहीं किया है । आवेदक के अभिभाषक ने प्रार्थना की कि न्यायालय भू प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण कमांक 10 अ-6-अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2015 के पालन कराया जावे।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि यह सही है कि न्यायालय भू प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण कमांक 10 अ-6-अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2015 से ग्राम लुगासी स्थित भूमि सर्वे नंबर 5900 रकबा 0.42 है. , 5901 रकबा 0.39 हैक्टर, 5910 रकबा 0.42 हैक्टर , 5911रकबा 0.65 है0 आवेदक की होना पाते हुये आवेदक के नाम अंकित करने के आदेश दिये हैं और जब तक उक्त आदेश सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं होता है, आदेश का

6 निग0 ग्राम

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1858–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	अमल राजस्व अधिकारियों को शासकीय अभिलेख में करना अनिवार्य है। 4/ अतएव निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार नौगॉव को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एंव न्यायालय भू प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 10 अ–6–अ/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर तहसीलदार नौगॉव को 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें तथा तहसीलदार नौगॉव आवेदक के आवेदन पर विधिवत् कार्यवाही करते हुये अमल कार्यवाही वावत् 60 दिवस के भीतर निर्णय लेकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें। सदस्य	